

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश


एस.बी.सिविल याचिका संख्या 8963/2020 मधु सामरिया बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2020 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को कन्सीडर कर आख्यात्मक आदेश के जरिए निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थिया द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि याचिकार्थिया वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मरैना, जिला-धौलपुर में तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर 14 वर्ष से कार्यरत है। याचिकार्थिया के कथनानुसार उसके दो बच्चों में से छोटे बच्चे के पैर में विकृति होने के कारण उसे नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर को इलाज के लिए दिखाने हेतु आये दिन अवकाश लेना पड़ता है तथा गृह जिले से दूर पदस्थापित होने के कारण वह अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल नहीं कर सकती तथा लकवे से पीड़ित वृद्ध सास की भी सही प्रकार से सेवा नहीं कर सकती है। अतः याचिकार्थिया ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर धौलपुर जिले से अलवर जिले में रिक्त पद पर स्थानान्तरण करने की मांग की है।

याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.09.2020 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा अधिनस्थ सेवा नियम-1971 के अनुसार तृतीय श्रेणी अध्यापक का पद जिला स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। तृतीय श्रेणी अध्यापक का पद जिला कैंडर का होने के कारण जिला परिवर्तन कर स्थानान्तरण करने से विभाग का जिलास्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद जिले में उपलब्ध रिक्तियों वर्गवार/जिलेवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियों को जिलेवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य जिले में स्थानान्तरण कर जिला परिवर्तन किये जाने से जिलों में उपलब्ध पदों के विरुद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा जिससे अव्यवस्था होगी तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल पड़ेगा, जो कि छात्र हित एवं विभाग के अनुकूल नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में दिनांक 01.12.2015 को निर्णय पारित किया कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। याचिकार्थिया द्वारा अभ्यावेदन में वर्णित व्यक्तिगत एवं पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में स्थानान्तरण का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही स्थानान्तरण किए जाते हैं। याचिकार्थिया द्वारा अभ्यावेदन में अपनी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर स्थानान्तरण हेतु की जा रही मांग तर्कसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है।

अतः याचिकार्थिया द्वारा धौलपुर जिले से अलवर जिले में स्थानान्तरण करने हेतु की जा रही मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाए जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।


 (सौरभ स्वामी)
 आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
 राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 20/07/2021

क्रमांक:- शिविरा-मा./संस्था/एफ-2/को.के./जोध/13089/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, धौलपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
4. सहायक निदेशक (विधि), कार्यालय हाजा को अनौ. टिप्पणी शिविरा-माध्य/विधि/बी-2/29892/एफ/20/2 के क्रम में।
5. याचिकार्थिया श्रीमती मधु सामरिया तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-2 रा.उ.मा.वि., मरैना, जिला-धौलपुर (रजिस्टर्ड)
6. रक्षित पत्रावली


 संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)